परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिएयोजना

संस्थान में परामर्शदाताओं की नियुक्ति की योजना को निम्नलिखित दिशा - निर्देशों के अनुसारविनियमित किया जाएगा: -

1.परामर्शदाताओं को नियुक्त करने की सामान्य शर्तें:-

(i) निर्धारित अपेक्षितयोग्यता तथा अनुभव प्राप्त सरकार/स्वायत्त संगठनों के पेशेवर/सेवानिवृत्तकर्मचारी परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति को पुनः रोजगार के लिए नहीं माना जाएगा|
(ii)परामर्शदाताओं को राष्ट्रीय प्रतिराक्षविज्ञान संस्थानकोउच्च गुणवत्ता की सेवाप्रदान करने के लिएएकनिश्चित अवधिया विशिष्ट तथा समयबद्ध कार्य के पूरा होने तक के लिए नियुक्त किया जाएगा|
(iii)परामर्शदाताओं की नियुक्तिपूर्णकालिकआधार पर होगीतथा राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान में कार्यरत रहने के दौरान उन्हें अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं होगी|
(iv) परामर्शदाताओं की नियुक्ति अस्थायी(गैर सरकारी) हैऔरनियुक्ति,बिना कोई कारण बताए संस्थान द्वारा किसी भी समय रद्द की जा सकती है ।

2. परामर्शदाताओं की नियुक्ति योग्यताऔर अनुभवकेआधारनिम्नलिखित तीनस्तरों में से किसीएकमें की जा सकती है

परामर्शदाता - ।

(क) पेशेवर जिनके पास प्रासंगिकविषय मेंस्नातकोत्तर की डिग्री यातकनीकीयोग्यता जैसे बी. टेक,एमबीएयाप्रासंगिकक्षेत्र/विषयमेंबराबरकी योग्यता रखते हों| व्यक्ति जिनके पास एम. फिल याअतिरिक्तयोग्यता,अनुसंधानअनुभव,प्रकाशितकागजातऔरसंबंधित क्षेत्र मेंपद अहर्ता का अनुभव रखते हैं, ऐसे व्यक्तियोंकोप्राथमिकता दी जाएगी ।
ख) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी (i) 5400 और उससे ऊपर के ग्रेड वेतन के साथ तथा (ii) अपेक्षित क्षेत्र में 7 साल का अनुभव रखने वाले भी इस पद के लिए पात्र होंगे|

परामर्शदाता - ।।

(क) पेशेवर जिनके पास प्रासंगिक विषय में पीएचडीकीडिग्री है तथा अपेक्षितक्षेत्र मेंपद अहर्ता का न्यूनतम 6 वर्ष का अनुभव हो ।
(ख) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी (i) रू 6600/- और उससे ऊपर के ग्रेड वेतन के साथ

तथा (ii) अपेक्षित क्षेत्र में 12 साल का अनुभव रखने वाले भी इस पद के लिए पात्र होंगे|

परामर्शदाता - |||

(क) इसमें पेशेवर जिनके पास प्रासंगिकविषय में पीएचडी की डिग्री तथा अपेक्षित क्षेत्र में पद अहर्ता का20 साल का अनुभव रखने वाले शामिल होंगे। उनके पास उच्च योग्यता औरस्थापितसहकर्मीप्रतिष्ठा होनी चाहिए|

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी (i) रू 10,000/- और उससे ऊपर के ग्रेड वेतन के साथ तथा (ii) अपेक्षित क्षेत्र में 25 साल का अनुभव रखने वाले भी इस पद के लिए पात्र होंगे|

3.<u>नियुक्ति की अवधि</u>

प्रारंभिक नियुक्ति अवधि और उसके बाद विस्तार यदि कोई है, तो उसका निर्णय मामले-दर-मामले के आधार परविशिष्ट कार्य तथा उस के पूरे होने की अवधि के आधार पर लिया जाएगा |

<u>4.प्रक्रिया</u>

(क)तीन स्तर में से किसी एक स्तर के परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के लिएउम्मीदवारों के चयन का अनुसरण निहित प्रावधानों के दायरे में होगा ;-

(i)अध्याय VI,सामान्य वित्तीय नियमावली के2005 सेवा अधिप्राप्ति
नियम 163.165.166.170.176और177|

(ii)अध्याय VII, नीति एवं परामर्श रोज़गार प्रक्रिया मैन्युअल के पैरा 1.2.1,7.1और7.2 व्यक्तिगत परामर्शदाता चयन|

(ख) आवश्यकतानुसार,संस्थान8 परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञापन तैयार करवाएगा तथा इसको संस्थानं की वेबसाइट पर अपलोड करवाएगा एवं कम से कम किसी एक राष्ट्रीय समाचारपत्र में छपवाएगा|

(ग) विज्ञापन के एवज में प्रात हुए सभी आवेदनों को इस उद्देश्य के लिए गठित उपयुक्त समिति द्वारा छांटा/जांचा जाएगा | तत्पश्चात, चयन समिति उम्मीदवारों केचयन के लिएएकपैनलकी सिफारिश करेगी| स्क्रीनिंगएवं चयन समिति निदेशकद्वारा गठित की जाएगी

|
घ) चयनित उम्मीदवारों को संस्थान के साथ एकअनुबंधको निष्पादित करना होगा|

5.परामर्शदाताओं की सभीतीन श्रेणियों की हकदारी

5.1 शुल्क औरस्थानीयवाहन भत्ता: -

मासिक समेकितशुल्कऔर स्थानीयपरामर्शदाताओं की विभिन्न श्रेणियोंको देयवाहनभत्ते की अधिकतम राशिनिम्नानुसार होगी: -

परामर्शदाताओं की विभिन्न श्रेणियोंको देय अधिकतम मासिक समेकितशुल्कऔर स्थानीय वाहन भत्ते की अधिकतम राशिनिम्ननुसार होगी: -

परामर्शदाता - ।	शैक्षिक योग्यता और अनुभव के आधार पर रु.20,000 /- रुपये से रू. 35,000/-| एवं रू 1,500/-प्रति माह स्थानीय परिवहन भत्ता । .
परामर्शदाता - ॥	शैक्षिक योग्यता और अनुभव के आधार पर रु.35,000 /- रुपये से रू. 60000/-| एवं रू. 3000/-प्रति माह स्थानीय परिवहन भत्ता ।
परामर्शदाता - ।।।	शैक्षिक योग्यता और अनुभव के आधार पर रु.60,000 /- रुपये से रू. 90000/-| एवं रू. 10000/-प्रति माह स्थानीय परिवहन भत्ता ।

तीन में से किसी भी श्रेणी के परामर्शदाता के रूप मेंसेवानिवृत्तसरकारीअधिकारीकीनियुक्तिके मामलेमेंशुल्ककीराशिपरामर्शदाता के रूप में नियुक्ति की तारीख को आहरित अंतिम वेतन तथा महंगाईभत्ते में से मूल पेंशन/केन्द्रीय भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान केबराबर पेंशन कम करके निर्धारित की जाएगी ।

5.2 भत्ता: -परामर्शदाताओं को महंगाई भत्ता,आवासीय टेलीफोन,परिवहनसुविधा,आवास सुविधा,निजी स्टाफ,सीजीएचएसऔर चिकित्साप्रतिपूर्ति आदि जैसे किसी भीभत्ते के हकदार नहीं होंगे |हालांकि, वे उपरोक्त निर्धारित दरोंकेअनुसारस्थानीयवाहनभत्ते के हकदार होंगे |परामर्शदाताओं - III आवासीय टेलीफोनसुविधाके हकदार होंगे |उनके लिए अधिकतमप्रतिपूर्तिराशिरु.2800/ - प्रति माह होगी |वरिष्ठ परामर्शदाता को बाहरी स्त्रोतों की श्रेणीका एकनिजी स्टाफ उपलब्धता के अनुसार प्रदानकिया जाएगा |

5.3 अवकाश:परामर्शदाताओं यथानुपातआधारपर एक कैलेंडर वर्षमें 12 दिनों के अवकाश के पात्रहोंगे |इसलिए यथानुपातआधारपर गणना के अनुसार अगर एकपरामर्शदाताएकवर्ष में12 दिनों से अधिक तक अनुपस्थित होता है तो उस अनुपस्थितिकी अवधि में कोई पारिश्रमिकनहीं दिया जाएगा। एक कैलेंडर वर्ष में अनुपयोग कियागया अवकाश अगले कैलेंडर वर्षमें नहीं जोड़ा जाएगा |

5.4 ट्रेवल भत्ता/ महंगाई भत्ता : - समनुदेशन में शामिल होने के लिए कोईटीए / डीएदेय नहीं होगा तथा सरकारी खर्च पर परामर्शदाताओं की विदेश यात्रा स्वीकार्य नहीं होगी | हालांकि, सरकारी काम केसिलसिलेमेंदेश के अंदर की यात्रा के लिए परामर्शदाता को टीए/डीए देने की अनुमति दी जाएगी |

5.5 पुस्तकालय सुविधा: - अपनी नियुक्ति के दौरान परामर्शदाता को राष्ट्रीय प्रतिराक्षविज्ञान संस्थान के पुस्तकालय का उपयोग करने तथा पुस्तकालय के नियमों के अनुसार पुस्तकें उधार लेने की अनुमति होगी |

परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन

परामर्शदाता - I

1.निदेशक या संस्थानके बाहरसेउनके द्वारा मनोनीत — अध्यक्ष
2. निदेशक द्वारा मनोनीत वरिष्ठसंकायसदस्य — सदस्य
3. निदेशक द्वारा बाहर से मनोनीत विशेषज्ञ — सदस्य
4. वरिष्ठ प्रबंधक — सदस्य
5. प्रबंधक(प्रशासन एवं सम्पदा) — सदस्य सचिव

परामर्शदाता - II

1.निदेशक या संस्थानके बाहरसेउनके द्वारा मनोनीत

अध्यक्ष

2. निदेशक द्वारा मनोनीत वरिष्ठसंकायसदस्य सदस्य

3. निदेशक द्वारा बहार से नामित दो विशेषज्ञ सदस्य

4. वरिष्ठ प्रबंधक सदस्य-सचिव

परामर्शदाता - III

1.निदेशक या संस्थान के बाहर से उनके द्वारा मनोनीत अध्यक्ष

2. निदेशक द्वारा मनोनीत वरिष्ठ संकाय सदस्य सदस्य

3. निदेशक द्वारा बहार से नामित दो विशेषज्ञ सदस्य

4. वरिष्ठ प्रबंधक सदस्य-सचिव

@प्रत्येकअवसर पर विशेषज्ञता के क्षेत्र के आधार पर नियुक्ति के लिए नामांकन किया जाएगा ।